न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1080 / 2024

अनवान : –

1. अंकित कुमार पुत्र राजेन्द्र जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर ।
2. मुकेश पुत्र बलवीर जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

—— **वादीगण**

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र सालुराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. राजेन्द्र पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. बलवीर पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. कौशल्या पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
5. वसुंधरा पुत्री राजेन्द्र जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. मनीषा पुत्री बलवीर जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88—89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :— श्री भरतसिंह बैनीवाल अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः - 01/01/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2077—2080 के खाता संख्या 210 / 131 के खसरा नं. 394 / 30 की कुल 4.7360 है0 भूमि एवं रोही मौजा सांगठिया के खाता संख्या 214 / 152 के खसरा नं. 403 / 73 की 6.1690 है0, खसरा नं. 437 / 108 की 0.9150 है0 कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 7.0840 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है

वादीगण के पिता रामचन्द्र पुत्र सालुराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर को उपरोक्त कृषि भूमि अपने पिता व वादीगण के दादा सालुराम पुत्र श्योराम जाति जाट निवासी सांगठिया से विरास्तन प्राप्त हुई थी। सालुराम के फोत होने पर रामचन्द्र के नाम यह भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है इसलिए यह कृषि भूमि दादालाई कृषि भूमि है। प्रतिवादी संख्या 1 रामचन्द्र पुत्र सालुराम के दो पुत्र प्रतिवादी संख्या 2 राजेन्द्र, प्रतिवादी संख्या 3 बलवीर व एक पुत्री प्रतिवादीया संख्या 4 कौशल्या हुए तथा प्रतिवादी संख्या 2 के एक पुत्री प्रतिवादीया संख्या 5 वसुंधरा व एक पुत्र वादी संख्या 1 अंकित कुमार एवं प्रतिवादी संख्या 3 बलवीर के एक पुत्री प्रतिवादीया संख्या 6 मनीषा व एक पुत्री वादी संख्या 2 मुकेश है। इन सभी वादीगण व प्रतिवादीगण का वादग्रस्त कृषि भूमि में [illegible] व हिस्सा बनता हैं। उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 [illegible] हिन्दु खानदान दर्ज हुई। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण का जन्म से ही हक व हिस्सा यानी बर्थ राईट है इसलिए वादीगण अपने हक व हिस्सा की घोषणा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:41:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीया संख्या 4 कौशल्या पुत्री रामचन्द्र जो कि वादीगण की बुआ है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा बनता है वह अपने पिता/भाईयों व उनके वारिसों के पक्ष में परित्याग कर दिया है एवं प्रतिवादीया संख्या 5 जो कि वादी संख्या 1 की बहिन है एवं प्रतिवादीया 6 जो कि वादी संख्या 2 की बहिन है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है परिवार के मौजिज व्यक्तियों के समक्ष अपने पिता व भाईयों के पक्ष में परित्याग कर दिया है इस प्रकार से प्रतिवादीया संख्या 4 ता 6 का कोई हक हिस्सा नहीं बचा है बाद हक त्याग मुताबिक समझौता वादीगण संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ब0 हि0 ब0 काबिज है वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है।

वादीगण ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 6 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 7 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वादीगण के पिता रामचन्द्र पुत्र सालुराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर को उपरोक्त कृषि भूमि अपने पिता व वादीगण के दादा सालुराम पुत्र श्योराम जाति जाट निवासी सांगठिया से विरास्तन प्राप्त हुई थी। सालुराम के फोत होने पर रामचन्द्र के नाम यह भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है इसलिए यह कृषि भूमि दादालाई कृषि भूमि है। प्रतिवादी संख्या 1 रामचन्द्र पुत्र सालुराम के दो पुत्र प्रतिवादी [illegible], प्रतिवादी संख्या 3 बलवीर व एक पुत्री प्रतिवादीया संख्या 4 कौशल्या [illegible] एक पुत्री प्रतिवादीया संख्या 5 वसुंधरा व एक पुत्र वादी संख्या 1 अंकित कुमार एवं प्रतिवादी संख्या 3 बलवीर के एक पुत्री प्रतिवादीया संख्या 6 मनीषा व एक पुत्री वादी संख्या 2 मुकेश है। इन सभी वादीगण व

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:41:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रतिवादीगण का वादग्रस्त कृषि भूमि में दादालाई हक व हिस्सा बनता हैं। उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 रामचन्द्र पुत्र सालुराम के बतौर कर्ता हिन्दु खानदान दर्ज हुई। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण का जन्म से ही हक व हिस्सा यानी बर्थ राईट है इसलिए वादीगण अपने हक व हिस्सा की घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीया संख्या 4 कौशल्या पुत्री रामचन्द्र जो कि वादीगण की बुआ है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा बनता है वह अपने पिता/भाईयों व उनके वारिसों के पक्ष में परित्याग कर दिया है एवं प्रतिवादीया संख्या 5 जो कि वादी संख्या 1 की बहिन है एवं प्रतिवादीया 6 जो कि वादी संख्या 2 की बहिन है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है परिवार के मौजिज व्यक्यिों के समक्ष अपने पिता व भाईयों के पक्ष में परित्याग कर दिया है इस प्रकार से प्रतिवादीया संख्या 4 ता 6 का कोई हक हिस्सा नहीं बचा है बाद हक त्याग मुताबिक समझौता वादीगण संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ब0 हि0 ब0 काबिज है वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादीगण के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 210/131 के खसरा नं. 394/30 की कुल 4.7360 है0 भूमि एवं रोही मौजा सांगठिया के खाता संख्या 214/152 के खसरा नं. 403/73 की 6.1690 है0, खसरा नं. 437/108 की 0.9150 है0 कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 7.0840 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है तथा उभयपक्ष ने भी उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। वादीगण का कथन है कि सालुराम के फोत होने पर रामचन्द्र के नाम यह भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है इसलिए यह कृषि भूमि दादालाई कृषि भूमि है। प्रतिवादी संख्या 1 रामचन्द्र पुत्र सालुराम के दो पुत्र प्रतिवादी संख्या 2 राजेन्द्र, प्रतिवादी संख्या 3 बलवीर व एक पुत्री प्रतिवादीया संख्या 4 कौशल्या हुए तथा प्रतिवादी संख्या 2 के एक पुत्री प्रतिवादीया संख्या 5 वसुंधरा व एक पुत्र वादी संख्या 1 अंकित कुमार एवं प्रतिवादी [illegible] बलवीर के एक पुत्री प्रतिवादीया संख्या 6 मनीषा व एक पुत्री वादी संख्या 2 मुकेश है। [illegible] वादीगण व प्रतिवादीगण का वादग्रस्त कृषि भूमि में दादालाई हक व हिस्सा बनता हैं। उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 रामचन्द्र पुत्र सालुराम के बतौर कर्ता हिन्दु खानदान दर्ज हुई। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:41:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण का जन्म से ही हक व हिस्सा यानी बर्थ राईट है इसलिए वादीगण अपने हक व हिस्सा की घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीया संख्या 4 कौशल्या पुत्री रामचन्द्र जो कि वादीगण की बुआ है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा बनता है वह अपने पिता/भाईयों व उनके वारिसों के पक्ष में परित्याग कर दिया है एवं प्रतिवादीया संख्या 5 जो कि वादी संख्या 1 की बहिन है एवं प्रतिवादीया 6 जो कि वादी संख्या 2 की बहिन है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है परिवार के मौजिज व्यक्तियों के समक्ष अपने पिता व भाईयों के पक्ष में परित्याग कर दिया है इस प्रकार से प्रतिवादीया संख्या 4 ता 6 का कोई हक हिस्सा नहीं बचा है बाद हक त्याग मुताबिक समझौता वादीगण संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ब0 हि0 ब0 काबिज है, वादी के उक्त कथनो को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 210/131 के खसरा नं. 394/30 की कुल 4.7360 है0 भूमि एवं रोही मौजा सांगठिया के खाता संख्या 214/152 के खसरा नं. 403/73 की 6.1690 है0, खसरा नं. 437/108 की 0.9150 है0 कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 7.0840 है0 भूमि में वादीगण संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 पांचो को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:41:09 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 1080 / 2024
अनवान : –

1. अंकित कुमार पुत्र राजेन्द्र जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर ।
2. मुकेश पुत्र बलवीर जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

—— वादीगण

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र सालुराम जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. राजेन्द्र पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. बलवीर पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. कौशल्या पुत्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर।
5. वसुंधरा पुत्री राजेन्द्र जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. मनीषा पुत्री बलवीर जाति जाट निवासी सांगठिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

—प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1080 सन 2024 निर्णय दिनांक - 01/01/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री भरतसिंह बैनीवाल एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सांगठिया तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 210/131 के खसरा नं. 394/30 की कुल 4.7360 है0 भूमि एवं रोही मौजा सांगठिया के खाता संख्या 214/152 के खसरा नं. 403/73 की 6.1690 है0, खसरा नं. 437/108 की 0. 9150 है0 कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 7.0840 है0 भूमि में वादीगण संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 पांचो को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 01/01/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.10 15:41:09 IST
Reason: SelfAttested